शिक्षा विभाग,

बिहार, पटना।

!!अधिसूचना!!

पटना, दिनांक--......................

संख्या 12/स्था 03/2014 .... महामहिम राज्यपाल सचिवालय, बिहार, राजभवन, पटना के पत्रांक BSU (Regulation)-16/2015-1283/GS(I) दिनांक-02.09.2015 के आलोक में निजी गैर अनुदानित पेशेवर अध्यापक शिक्षा संस्थानों में सत्र 2015-17 से दो वर्षीय B.Ed कोर्स के संचालन हेतु अनुमति प्रदान करते हुए B.Ed कोर्स के लिए प्रति छात्र कुल 95,000 (पनचानवे हजार) रूपये का औपबंधिक नामांकन--शुल्क निर्धारित किया गया। साथ ही यह निदेशित किया गया कि राज्य सरकार तीन माह के अन्दर उक्त कोटि के संस्थानों में आलोच्य कोर्स हेतु UGC Regulations, 1997 के अनुसार एक राज्यस्तरीय समिति गठित कर नामांकन-शुल्क का निर्धारण करेगी जिसे राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंद्ध उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी होगा।

उक्त आलोक मे शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या-662 दिनांक-19.11.2015 द्वारा नामांकन शुल्क निर्धारण हेतु कुलपति, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति गठित की गई।

समिति द्वारा ऐसा पाया गया कि उक्त कोटि के संस्थानों में वार्षिक रूप से 200 छात्रों (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) के नामांकन पर, संस्थान द्वारा निम्नांकित प्रकार का व्यय किया जाना अनुमानित है-

SL.No	PAYMENT PARTICULAR	AMOUNT
1	Salary & Allowances (Academic) for one Principal & 15 Faculty	71,75,000.00
2	Salary & Allowance for Non-teaching staff (Librarian-1, Lab Asst.-1, Office-cum-Accountant-1, Office Asst.-cum- computer Operator-1, Store keeper-1, Technical Asst.-1 & Lab Attendant / Support staff-2)	14,20,000.00
3	Library Books & Journals	1,00,000.00
4	Advertisement & publicity	1,00,000.00
5	Organization of different Functions & Celebrations	1,00,000.00
6	Repair & Maintenance of Institutional building, furniture etc.	50,000.00
7	Generator Running & Maintenance cost	1,00,000.00
8	T.A. & D.A. Expenditure	50,000.00
9	Printing & Stationary	50,000.00
10	Electric Expenditure (Payment of electric equipment) & electric charges	1,80,000.00
11	Staff welfare	50,000.00
12	News Paper & Magazine	10,000.00
13	Games & Sports	20,000.00
14	Different Lab Exp. (purchase of equipments & consumable items)	50,000.00
15	Examination (Internal) Expenditure	50,000.00
16	Computer Accessories & Maintenance	50,000.00
17	First Aid Expenditure	25,000.00

Scanned with CamScanner

18	Telephone & Mobile Expenditure	20,000.00
19	Seminar/Workshop Expenditure	1,00,000.00
20	Development Head Expenditure	1,00,000.00
21	Miscellaneous Expenditure (Including Library Maintenance)	1,00,000.00
22	Office Expenditure	1,00,000.00
	Total:	**1,00,00,000.00**

उपरोक्त व्यय-विवरणी के आधार पर समिति द्वारा उक्त कोटि के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रति छात्र वार्षिक शुल्क के रूप में बी०एड० कोर्स के लिए नामांकन-शुल्क के रूप में 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) प्राप्त करने की निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की गई है। (उक्त नामांकन- शुल्क में नामांकन के समय ली जाने वाली कौशन मनी- कुल 5,000/- (पाँच हजार) रूपये मात्र, शामिल नहीं है।)-

1. प्रत्येक संस्थान में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर निर्धारित संख्या में नियमानुसार की जाए। शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किया जाए। चूंकि शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन की गणना मानक आधार पर की गयी है, अतः निर्धारित संख्या से कम संकाय-सदस्य या कर्मी रखने पर छात्र शुल्क अनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।
2. प्रत्येक संस्थान में वार्षिक रूप में पुस्तकालय के लिए पुस्तक एवं पत्रिका का क्रय तथा प्रत्येक प्रकार की प्रयोगशाला हेतु व्यवहार की सामग्री का क्रय अनिवार्य रूप से किया जाए।
3. प्रत्येक संस्थान में वर्ष में विभिन्न प्रकार का आयोजन (यथा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गाँधी जयंती, बिहार दिवस, महिला दिवस एवं यू०जी०सी० द्वारा निदेशित दिवस/सप्ताह) निश्चित रूप से आयोजन किये जाँय।
4. प्रत्येक संस्थान में वार्षिक रूप से शैक्षणिक सेमिनार एवं विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं अनिवार्यतः आयोजित की जाँय, जिनमें यथासंभव राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद् भी आमंत्रित किये जाँए।
5. विकास-मद हेतु प्राप्त राशि का उपयोग संस्थान की भौतिक संरचना एवं आधारभूत संरचना (Physical Structure & Infrastructure) के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाए।
6. Staff Welfare की राशि को संस्थान द्वारा बैंक में एक अलग खाते में संधारित की जाए।
7. प्रत्येक संस्थान द्वारा समाचार पत्र में नामांकन सूचना के साथ- साथ सम्पूर्ण वर्ष में व्यय की जाने वाली राशि को मदवार रूप से दर्शाया जाए।
8. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के उपरांत संस्थान द्वारा 31 मई तक अनिवार्य रूप से गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित विश्वविद्यालय तथा उसकी एक प्रति निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाएगी।
9. इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा भी समय-समय पर उक्त कोटि के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा भी की जाएगी, जिसमें संस्थान के प्रतिनिधि विगत तीन वर्षों के अंकेक्षण-प्रतिवेदन के साथ भाग लेंगे।

समिति की उपरोक्त अनुशंसाओं की सम्यक रूप से समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए निजी गैर अनुदानित पेशेवर अध्यापक शिक्षा संस्थानों में बी०एड० कोर्स हेतु सत्र 2015-17 से लागू करने

Scanned with CamScanner

का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि अगले तीन वर्षों के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन-शुल्क की समीक्षा समिति द्वारा पुनः की जाएगी।

इसी प्रकार निजी गैर अनुदानित पेशेवर अध्यापक शिक्षा संस्थानों में सत्र 2016–17 से प्रति छात्र अधिकतम 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का वार्षिक शुल्क अर्थात दो वर्ष के सम्पूर्ण कोर्स हेतु कुल 1,00,000/- (एक लाख रूपये) मात्र प्राप्त किया जाए। उपरोक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम है, परन्तु संस्थान द्वारा यदि इस सीमा से कम व्यय किया गया है, तो नामांकन-शुल्क के रूप में उतनी कम राशि ली जाएगी। इसे राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी होगा।

पूर्व से इस संदर्भ में निर्गत संकल्प/अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–12/स्था 03/2014 ________ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि–कुलपति, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायालय कार्य), महामहिम राज्यपाल सचिवालय, बिहार, राजभवन, पटना/सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002/सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, विंग–2, 1 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/स्था 03/2014 ________ पटना, दिनांक- ________

प्रतिलिपि–विद्वान महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना/प्रधान सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/स्था 03/2014 ________ पटना, दिनांक- ________

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी अंक में इसे प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

2. अनुरोध है कि इसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

ह०/-

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/स्था 03/2014 107 पटना, दिनांक- 15.3.16

प्रतिलिपि–आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner